मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत नगर टांडा, अम्बेडकर नगर उ0 प्र0 द्वारा प्रस्तावित 2×660 मेगावाट द्वितीय चरण के विस्तारीकरण की स्थापना से पूर्व परियोजना की स्थापना के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुक्रम में दिनांक 30 सितम्बर, 2009 को पूर्वान्ह 11.00 बजे प्रस्तावित स्थल निकट – एनटीपीसी विद्युत नगर, जनपद अम्बेडकर नगर (उ0 प्र0) पर लोक सुनवाई हेतु आयोजित बैठक की कार्यवृत्ति :–

उपरोक्त संदर्भित विद्युत इकाई की स्थापना के पर्यावरणीय क्लीयरेंस के प्रस्ताव हेतु जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर द्वारा नामित उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रस्तावित स्थल निकट एनटीपीसी विद्युत नगर अम्बेडकर नगर उ0 प्र0 में पूर्वान्ह 11.00 बजे "लोक सुनवाई" प्रारम्भ हुई जिसमें सर्वप्रथम लोक सुनवाई हेतु उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत एवं परिचय प्राप्त करने के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

- सर्व प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फैजाबाद के सहायक पर्यावरण अधिकारी श्री देवमणि मिश्रा द्वारा लोक सुनवाई पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत आच्छादित परियोजनाओं की श्रेणी में प्रस्तावित योजना आच्छादित है। इस हेतु लोक सुनवाई जिला अधिकारी महोदय या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में कराये जाने का प्रावधान है जिसमें प्रस्तावित परियोजना की स्थापना एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में जन सामान्य से सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। जिला अधिकारी महोदय, अम्बेडकर नगर द्वारा दिनांक 30.09.2009 को लोक सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी थी जिसके अनुक्रम में सदस्य सचिव उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा दो समाचार पत्रों क्रमशः दैनिक जागरण, में दिनांक 29.08.2009 तथा टाइम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली में दिनांक 29 व 30.08.2009 को पर्यावरणीय क्लियरेंस हेतु लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करायी गयी जो कि लोक सुनवाई तिथि से एक माह पूर्व सूचना प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। तथा जिसमें जन साधारण से

आपत्तियां/सुझाव लिखित मांगे गये थे। दिनांक 29.09.2009 तक बोर्ड में किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुयी हैं।

- लोक सुनवाई की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मेसर्स एनटीपीसी, टांडा के उप महाप्रबन्धक (पर्यावरण प्रबन्धन एवं राख उपयोगिता) श्री एस0 के0 द्विवेदी द्वारा उक्त परियोजना के पर्यावरणीय पहलुओं पर इकाई द्वारा पूर्व में किये गये प्रयासों एवं वर्तमान में चल रहे कार्यों तथा प्रस्तावित इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में पर्यावरणीय प्रबन्धन पर होने वाले कार्यो एवं दायित्वों पर अपनी प्रस्तुति की गयी।
- कार्यक्रम में अग्रेतर मेसर्स एनटीपीसी लि0 के उप महाप्रबन्धक (पर्यावरण अभियांत्रिकी) डा0 विजय प्रकाश द्वारा उक्त परियोजना के प्रत्येक परिदृश्य पर अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी। इनके द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत इकाई द्वारा मुख्यतः चार प्रकार के प्रदूषण जनित होने की सम्भावना रहती है जिसमें जल, वायु, ध्वनि, मृदा प्रदूषण मुख्य है।

1. जल प्रदूषण – डा0 विजय प्रकाश द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित इकाई में सरयू नदी द्वारा सिंचाई विभाग की अनुमति से कैनाल से 4400 घन0मी0 प्रति घण्टा जल की खपत की जायेगी जो रिसाइकिल प्रकिया पर आधारित होगी। जल का प्रयोग उद्योग में ब्यालर तथा अन्य प्रकिया में किया जायेगा। उद्योग से मुख्यतः दो प्रकार के उत्प्रवाह जनित होगें जिसमें मेन प्लांट का एफ्लूएन्ट जिसका निस्तारण उत्प्रवाह शुद्वीकरण संयंत्र स्थापित करके किया जायेगा तथा ऐश पाण्ड एफ्लूएन्ट का निस्तारण दो ऐश पाण्ड के माध्यम से शुद्विकरण संयंत्र स्थापित कर किया जायेगा। इसी प्रकार आवासीय परिसर से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट को स्थापना करके किया जायेगा।

2. वायु प्रदूषण – डा0 प्रकाश द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग में वायु प्रदूषण मुख्यतः ब्यालर से जनित उत्सर्जन से होगा। प्रस्तावित उद्योग में 2100 टन स्टीम/घण्टा के 2 सुपर किटिकल ब्यालर स्थापित किये जायेगें तथा इनमें ईधन के रूप में 20–22 हजार टन/दिन उच्च कोटि के कोयले का प्रयोग होगा तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ई0एस0पी0 स्थापित की जायेगी तथा उत्सर्जन हेतु 275 मी0 की ऊँचाई की चिमनी स्थापित की जायेगी, इसके साथ ही ड्राई फ्लाई एश एक्सट्रेक्शन सिस्टम

प्राविधानित किया गया है जिससे ऐश को चिमनी में जाने से पूर्व ही एक हापर में एकत्रित कर लिया जायेगा। जिससे उत्सर्जन पर प्रभावी नियंत्रण कर लिया जायेगा।

3. मृदा प्रदूषण – डा0 प्रकाश द्वारा अवगत कराया गया उपरोक्त प्रस्तावित इकाई की स्थापना अथवा संचालन से मृदा प्रदूषण की सम्भावनाएं न्यूनतम होगी। इकाई से किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह सीधे जमीन पर नहीं डाला जायेगा तथा शोधित उत्प्रवाह का निस्तारण ड्रेन के माध्यम से सरयू नदी में किया जायेगा। इसी प्रकार कोल का समुचित भण्डारण किया जायेगा तथा उत्सर्जन को बोर्ड मानकों के अनुरूप बनाया जायेगा तथा परिवेशीय वायु गुणता संरक्षित रखी जायेगी। आस–पास के क्षेत्रों में वृहत वृक्षारोपण किया जायेगा जिससे फ्यूजिटिव डस्ट पर प्रभावी नियंत्रण किया जायेगा तथा इससे मृदा प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा।

4. ध्वनि प्रदूषण – डा0 प्रकाश द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित इकाई में प्रक्रिया जनित ध्वनि प्रदूषण न्यूनतम होगा क्योंकि नवीन टेक्नॉलजी पर आधारित इकाई की स्थापना की जायेगी। इसके अतिरिक्त इकाई में समस्त प्रक्रिया कवर्ड कर की जायेगी तथा वृक्षारोपण के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में एनटीपीसी के पर्यावरणीय अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ द्वारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असस्मेंट का विस्तृत अध्ययन किया गया है तथा इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण ई0 आई0 ए0 में प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्नोत्तरी

द्वारा – श्री नरेद्र देव त्रिपाठी निवासी– ग्राम हासिमपुर

प्र0–1 पूर्व स्थापित इकाई की स्थापना के समय 17 गांवों की लगभग 2000 एकड़ जमीन ली गयी थी। जमीन इस प्रकार ली गयी कि इसकी बाउण्ड्री टेड़ी–मेढी थी और गांव छोड़ दिये गये थे। प्रस्तावित ऐश डम्प टाण्डा नगर के निकट है। इससे टाण्डा का कपड़ा उद्योग प्रभावित होगा, किसी भी नगर में ऐश पाण्ड नहीं लगाया जाना चाहिए। ऐश पाण्ड के कारण सैकडों एकड़ फसल हर साल नष्ट होती है। जब धरना प्रर्दशन होता था तो क्षति पूर्ति मिलती थी लेकिन एनटीपीसी द्वारा क्षति पूर्ति देना बन्द कर दिया गया। ऐश डम्प के कारण खेतों के आस–पास पानी जमा हो जाता है। गर्मी में धूल भरी आंधी चलती है राख उड़ते हैं तमाम

लोग गम्भीर रूप से बीमार हैं। सारी फसलें काली है। इसी कोयले के प्रदूषण की वजह से पेड़ो पर फल लगना बन्द हो गया हैं। ऐश डम्प से सटे हुए 17 गांव है जो प्रभावित हो रहे है। नाले में एनटीपीसी का पानी जाता है जिससे जानवरों को छाले पड़ गये। गर्मी के दिनों में जब नदी का पानी कम हो जाता है तो गावों के नलों में पानी कम आने की समस्या हो जाती है। ऐश के कारण फसल नष्ट हो जाती है। सैकड़ो एकड़ जमीन अनुपजाऊ हो गयी है। चिमनी के धुंए की वजह से बरसात कम हो गयी है। बादल कट कर चला जाता है। आप का कहना है कि हम 275 मी0 चिमनी बनायेगें लेकिन बादलों से ऊपर धुआं जायेगा नहीं। अगर ये चिमनी लग गई तो यह क्षेत्र वीरान हो जायेगा। अकबरपुर हवाई अड्डा को चिमनी से परेशानी होगी। वायु प्रदूषण के लिए पेपर में संयंत्र लगाये गये हैं पर किसी गावं में संयंत्र नहीं चल रहा हैं केवल दिखावे के लिए यह सब किया जाता है। हमारी जमीन तीन बार अधिग्रहीत की गयी और राज्य सरकार ने 6000 रू0 प्रति एकड़ मुआवजा दिया। किसानों ने नियम के अनुसार जमीन दे दिया पर एनटीपीसी द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया। तत्कालीन सरकार ने कहा कि हम एक आदमी को नौकरी दे देगें पर ऐसा नहीं किया गया अभी हमारा बकाया मुआवजा ही बाकी है। अगर उ0 प्र0 सरकार कानून का पालन नहीं करती, एनटीपीसी पालन नहीं करती तो हम किसान भी नहीं करेगें। एनटीपीसी ने कुछ मामले स्वीकृत किये। प्रभावित किसानों की लिखित सूची बनाकर समझौता किया गया कि नौकरी देगें लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। किसान हर तरफ से मारा जा रहा है। टाण्डा पम्प कैनाल के फीडर के कारण वोल्टेज को इतना कम कर दिया गया कि उससे कुछ नहीं हो सकता केवल एक लाइट जलती हैं। डेढ़ वर्ष से हम इस को झेल रहे हैं।

उ0– स्टेज–1 की परियोजना में कई एजेंसी शामिल थी। एनटीपीसी जो भी कार्य करेगी वो राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप करेगी। नई इकाई से जो भी प्रदूषण होगा वो मानकों के अनुरूप होगा। वर्तमान प्लांट 30 साल पुराना हो गया। स्टेज–2 की इकाईयां नई–नई तकनीकों पर आधारित होंगी नयी इकाईयों के बारे मे हम आश्वस्त हैं कि उनमें प्रदूषण बिल्कुल न्यूनतम होगा। आपने जो भी स्थानीय समस्यायें उठायी उन पर उचित कार्यवाही की जायेगी। हमारी दो चिमनियां लगी है तीसरी चिमनी के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान कर दी गयी है। ऐश डम्प के चारो तरफ ड्रेन बनाया जायेगा तथा वर्तमान नालों की सफाई कर दी जायेगी।

द्वारा – श्री राम वर्मा, निवासी– सलाहपुर, रजौर

प्र0– राज्य विद्युत परिषद द्वारा क्या किया गया क्या नहीं किया इससे हमें मतलब नहीं है। दस साल से परियोजना आप चला रहें हैं इस प्रदूषण के जिम्मेदार आप होगें। हमको आकंडें नहीं चाहिए हमको मौके पर कार्य चाहिए जो हमें दिखायी दें। आप वर्तमान में देख लें पत्तों पर आज भी राख मिलेंगी। प्रदूषण से लोग दुःखी है। जब यह परियोजना 1979 में लगायी गयी तो उस समय भी मानक थे। आपने अब तक कुछ सुधार किये परन्तु कुछ सुधार बाकी है। किसानों को विश्वास दिलाये कि इससे बड़ी मशीन लगेगी। बिजली सबकी समस्या हैं।

उ0– आपने यह स्वीकार किया कि कुछ काम किया गया है और कुछ बाकी है यह भी सही है। एनटीपीसी भारत सरकार की कम्पनी हैं। वह जो काम करेगी भारत सरकार के कानूनों के दायरे में रह कर ही करेगी। पुराना प्रोजेक्ट 1979 में बना था। 30 साल में तकनीकें बदल गयी हैं मशीने भी बदल गयी है। नई – नई मशीने आयेंगी जो अच्छे से अच्छा काम करेगीं। उनसे कम से कम प्रदूषण होगा यह हमारा आपको आश्वासन है।

द्वारा – श्री रामनसीर वर्मा, निवासी– हुसैनपुर सुधाना

प्र0– आपने एक लाख अस्सी हजार पेड़ो का जो आंकडा दिया वो आपके कालोनी में हो लगाया गया होगा। आजकल पर्यावरण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया केवल मंच पर चिल्लाया जाता है। आप कहते है कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा नहीं है यह खरीदा गया है। जब हम नया प्रोजेक्ट बनायेगें तो अच्छा करेंगे। लेकिन इसकी देख रेख तो आप ही कर रहे हैं।

उ0– एक लाख अस्सी हजार पेड़ लगे वो एनटीपीसी की बाउण्ड्री वाल के अन्दर ही लगे यह बात सत्य है पर एनटीपीसी अपनी ही जमीन में पेड़ लगा सकती हैं किसी दूसरे की जमीन में नहीं। हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, सहायता कर सकते है लेकिन दूसरे की जमीन में पेड़ नहीं लगा सकते हैं। पुराने प्रोजेक्ट में जहां तक सुधार की संभावना थी वहां तक सुधार किया गया। नये प्रोजेक्ट में नया डिजाइन होगा नई तकनीक होगी उसे नये तरीके से बनाया जायेगा। पुराने प्रोजेक्ट की तुलना नये प्रोजेक्ट से नहीं की जा सकती हैं।

द्वारा – श्री राम देव वर्मा, निवासी– ग्राम सम्हरिया।

प्र0– एनटीपीसी नाले को अपने यहां से न ले जाकर सम्हरिया से ले जाकर नदी में डालते हैं जिससे गावों के किनारे खेतों में 2 से 3 फिट राख जम गई है जिससे पैदावार होनी बन्द

हो गयी है। जब इतनी जमीन ली गयी तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया गया? पहले 1700 लोग यहां काम करते थे आज एनटीपीसी 400 लोगों से काम चला रही है कैसे? अगर कोई भी संविधान बनता है तो केवल गरीबों के लिए बनता है अमीरों के लिए नहीं बनता है? यहां इतनी घनी आबादी तथा इतनी उपजाऊ जमीन हैं कि इसका आंकलन नहीं किया जा सकता हैं। इनका मनसूबा है कि हम इनको कुछ पैसा देकर जमीन हड़प ले। अगर इनके द्वारा हमारे बच्चों को नौकरी दी जाये तो हो सकता है हम कुछ सहमत हों। इनके द्वारा कहा गया कि पौधें को अपनी जमीन में ही लगा सकते है दूसरे की जमीन में नहीं तो फिर नाले के पानी को भी अपनी जमीन से क्यों नही लेकर जाया जाता है। दूसरे की जमीन से क्यों? इनकी दूषित मंशा हम कभी पूरी नहीं होने देगें।

उ0– पौधों को हम अपनी ही जमीन में लगा सकते है लेकिन नाले को अपनी जमीन में कैसे बहाये। नदी–नाले प्राकृतिक हैं ये तो किसी बाउण्ड्री के अन्दर नहीं रह सकते। जहां तक जमीन के अधिग्रहण का सवाल है वह राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा प्रभावित व्यक्तियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार मुआवजा तथा पुनर्वास सम्बन्धी सुविधायें दी जायेंगी। एनटीपीसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समस्त नियमों को मानने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर हर आदमी यह सोच लें कि हम अपनी जमीन नहीं देगें तो देश एवं प्रदेश की आर्थिक स्थिति जस की तस ही बनी रहेगी।

द्वारा – श्री रमेश वर्मा, निवासी– ग्राम शरीफपुर

प्र0– जिस जमीन पर ऐश डम्प बनाया गया उससे हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन उसने हमारे गांव का पानी जमा होता था जो अब तालाब के किनारे जमा हो जाता है जिससे हमारी फसल नष्ट हो जाती है। ऐश डम्प की राख से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नाले की सफाई के लिए हमने कई बार कम्प्लेन भी किया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

उ0– इन प्रश्नों का जवाब हमारे द्वारा पहले ही दिया जा चुका है कि नाले की सफाई करवा दी जायेगी तथा उसमें फ्री फ्लो की स्थिति बनायी जायेगी जिससे उनकी समस्या का समाधान हो जायेगा।

–x–x–x–

• महा प्रबन्धक – श्री आर0 एस0 राठी, एनटीपीसी, टाण्डा –

हम बहुत ध्यान से इन लोगों की समस्या सुन रहे थे। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते है। समस्या जरूर है समस्याओं का समाधान भी है वह भी होगा। सन् 2000 से एनटीपीसी यहां आयी। प्लांट में बहुत सारी समस्यायें थी। एनटीपीसी ने बहुत सारे कार्य किये और बहुत सारे कार्य बाकी हैं। जो पुरानी मशीने हैं उनका नवीनीकरण किया जा रहा हैं। जब यह हो जायेगा तो इससे समस्यायें कम हो जायेगीं। लोगों ने अपनी समस्यायें बताई इन की समस्या बार–बार आयी। पानी ओवरफ्लो होकर बाहर आता हैं इन कमियों को हम दूर करेंगें। जहां तक मुआवजे की बात है तो केवल मुआवजा हर मसले का हल नहीं है। समय के साथ इन समस्याओं का हल जरूर होगा। एनटीपीसी पर्यावरण के प्रति पूरी तरह सचेत है। जहां तक नया प्लांट आने की बात है यह हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप भाग्यशाली है। यह निर्णय हुआ है उ0 प्र0 सरकार की सहमति से कि यहां एक बिजली घर लगाया जाय। आप लोगो की समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। हम इस बात का आश्वासन देते है।

अन्त में अध्यक्ष महोदय उपजिलाधिकारी टांडा, अम्बेडकर नगर द्वारा उपस्थित सदस्यों तथा लोक सुनवाई में भाग लेने वाले जन समुदाय को धन्यवाद देते हुए लोक सुनवाई में उठाये गये प्रश्नों के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। स्थानीय नागरिको को उद्योग की स्थापना से कोई पर्यावरण सम्बन्धी कठिनाई न हो, इसके लिए एनटीपीसी टांडा के प्रबन्धन से सजगता व तत्परता की अपेक्षा की गयी। लोक सुनवाई शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुयी। लोक सुनवाई की कार्यवृत्ति प्रस्तुत इकाई की अधिष्ठापना के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित की जायेगी।

30/7/09
वैज्ञानिक सहायक
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
फैजाबाद (उ0 प्र0)

सहायक पर्यावरण अधिकारी
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
फैजाबाद

उप जिलाधिकारी
टाण्डा, अम्बेडकर नगर

मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड टांडा, विद्युत नगर, जनपद–अम्बेडकर नगर (उ0प्र0) द्वारा प्रस्तावित 2 x 660 मेगावाट द्वितीय चरण के विस्तारीकरण की स्थापना से पूर्व परियोजना के स्थापना के संबन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 14.09.2006 के अनुक्रम में दिनॉक 30 सितम्बर 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रस्तावित स्थल निकट–एनटीपीसी विद्युत नगर, जनपद–अम्बेडकर नगर (उ0प्र0) पर ''लोक सुनवाई'' हेतु आयोजित बैठक में उपस्थितगण :–

क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
	डा0 हरिओम	जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर	
	श्री रामकृष्ण उत्तम	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) अम्बेडकरनगर (उ0प्र0)	
	श्री देवमणि मिश्र	सहा0 पर्यावरण अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नि0 बोर्ड, फैजाबाद	[illegible] 30/9/09
	श्री क्षितिज पटेल	वैज्ञानिक सहायक उ0प्र0 प्रदूषण नि0 बोर्ड फैजाबाद (उ0प्र0)	[illegible]
	श्री बी0 एन0 सिंह	उप जिलाधिकारी टाण्डा अम्बेडकरनगर	[illegible]
	श्री आर. एस. [illegible]	महाप्रबंधक एनटीपीसी टाण्डा	[illegible]
	श्री रमेश चन्द	अपर म0 प्रबन्धक एनटीपीसी टाण्डा	रमेश चन्द
	श्री सुरेन्द्र कुमार [illegible]	उप म0 प्रबन्धक एनटीपीसी टाण्डा	सुरेन्द्र कुमार [illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	राज कृष्ण नागर	अपर म0 प्रबन्धक (परियोजना) टाण्डा	[illegible]
	बलराम बसु	एन टी पी सी, दिल्ली	[illegible]
	अशोक कुमार त्रिपाठी	ग्राम व पो0 मखदूम नगर	अशोक कुमार त्रिपाठी
	सन्तलाल	ग्राम पो0 मखदूमनगर	सन्तलाल
	सन्तराम	ग्रा0 रवदेगॉव	[illegible]
	राम जनम	फरीदपुर कालोनी	राम जनम
	शिवकुमार तिवारी	डांडी	शिवकुमार
	रघुवीर पाण्डेय	माधवपुर	रघुवीर पाण्डेय
	मोहन तिवारी	इब्राहिमपुर	मोहन तिवारी
	मनोजानन्द [illegible]	कल्याणपुर	मनोराम [illegible]
	फूलचन्द्र	गंजेपापुर	फूलचन्द्र
	नन्दलाल	ओटी / भोटी	नन्दलाल
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	सब्बीर अहमद	हुसैनपुर सुधाना	सब्बीर अहमद

उपस्थिति विवरण

दिनांक 30/09/09

क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
	मंगाराम	हुसेनपुर सुधना	मंगाराम
	रजितराम	हुसैनपुर सुधाना	
	बालकराम	हुसैनपुर	बालकराम
	बच्चाराम	ग्राम-सालहदपुर रजौर	बच्चाराम
	दीपचन्द्र	ग्रा० सलाहदपुर रजौर	दीपचन्द्र
	नन्दलाल	ग्रा० खेदे गांव	नन्दलाल
	बाजिराम शंकर	ग्रा० बाजितपुर	रामशंकर
	रघुवीर वर्मा	रजौर	[illegible]
	रामकेवल	सलाहदपुर रजौर	रामकेवल
	राजेलराम	सलाहदपुर रजौर	
	मेवालाल	सलाहदपुर रजौर	मेवालाल
	श्रीराम	सलाहदपुर रजौर	श्रीराम
	रामअवध	सलाहदपुर रजौर	राम अवध
	तुलसीराम	सलाहदपुर रजौर	
	पंचम	सलाहदपुर रजौर	
	[illegible]	रजौर	[illegible]
	कन्नौजीलाल वर्मा	हुसैनपुर	कन्नौजीलाल वर्मा
	ओमप्रकाश	हुसैनपुर	[illegible]
	राजेन्द्र वर्मा	बरारिया	राजेन्द्र
	बंशीलाल वर्मा	हुसैनपुर सुधाना	बंशीलाल वर्मा
	सत्यनारायण	हुसैनपुर सुधाना	सत्यनारायण
	श्रीराम वर्मा	रजौर	[illegible]
	प्रेमचन्द वर्मा	हुसैनपुर सुधाना	प्रेमचन्द वर्मा
	Anoop Verma	Husainpur Sudhana	Anoop
	रामदुलार वर्मा	हुसैनपुर सुधाना	[illegible]
	[illegible]	"	[illegible]
	Pramod Verma	खेदे गांव	[illegible]

उपस्थिति विवरण   दिनांक 30/09/09

क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
	अब्दुल जबार	खरेटे गाँव	
	रामकुमार	रामपुर	रामकुमार
	मदन वर्मा	हुसैनपुर सुधाना	
	आदित्य प्रसाद शुक्ल जिला पंचायत सदस्य	फतेहपुर	[illegible]
	मुहिबर	खरेटे गाँव	
	फिरोज अहमद	खरेटे गाँव	फिरोज
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Sayed Abdullah	Husain pur Sudhana	[illegible]
	दीपचन्द	सोनहरा	दीप
	राम अजोर	सलारपुर खरौर	
	गजराज वर्मा	मनुवापुर	गजराज
	Bhagat Singh Ver	Husain Pur Sudhona	B. S. [illegible]
	पतिराम वर्मा	शरीफपुर कलवारिया	पतिराम वर्मा
	राजबहादुर लाल	रजौर	[illegible]
	मनोज श्रीवास्तव	"	मनोज
	अनिल कुमार	फतेहपुर	अनिल कुमार
	संगीलाल	वाजिदपुर	[illegible]
	उमेश चन्द्र वर्मा	वाजिदपुर	उमेश चन्द्र वर्मा
	फूलचन्द विश्वकर्मा	[illegible]	[illegible]
	[illegible] चन्द्र	लखनऊ	[illegible]
	किशनलाल	सलारपुर खरौर	किशनलाल
	सुमेर	खरेटेगाँव	सुमेर
	सुरेन्द्र लाल वर्मा	शरीफपुर	सुरेन्द्र लाल
	पवन कुमार	सेमरिया	

उपस्थिति विवरण दिनाँक 30/09/2009

क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
	राजेश	मकदूम नगर	राजेश
	विजय कुमार	हुसैपुर	
	मुन्नीलाल	जोगापुर	
	[illegible] राम	गजियापुर	
			[illegible]
	मुलई	केदार नगर	
	रनजीत	सलापुर खर्जार	रनजीत
	मुन्नीलाल	लोहरपुरवा	मुन्नीलाल
	विजय कुमार	मकदूम नगर	विजयकुमार
	दुर्गा प्रसाद	मकदूम नगर	दुर्गा प्रसाद
	नन्दलाल	लहुनपुर	नन्दलाल
	जगदम्बा सिंह	दुर्गापुर	[illegible]
	बुधिराम	अम्हरिया	
	रामनरेश [illegible]	हुसैनपुर सुधाना	[illegible]
	राजू	[illegible]	राजू
	रामकृपाल	अम्हरिया	रामकृपाल
	बृजेश कुमार	[illegible]	बृजेश कुमार
	रंगीलाल	गजियापुर	
	विनय	गजियापुर	विनय
	रामदास	लहुनपुर	
	अमीला	लहुनपुर	अमीला
	सिद्धनाथ [illegible]	हुसैनपुर सुधाना	सिद्धनाथ
	[illegible]	हसौपुर	[illegible]
	गोविन्द	सलारपुर खर्जार	गोविन्द
	भोले नाथ	रजौर	भोले नाथ
	पहलू	हुसैनपुर सुधाना	पहलू
	सिकन्दर [illegible]	हुसैनपुर सुधाना	[illegible]
	रामजियावन	हुसैनपुर सुधाना	रामजियावन
	नरेन्द्र कुमार	हुसैनपुर सुधाना	नरेन्द्र कुमार

क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
	तेजबहादुर	सलाहपुर रजौरा	तेजबहादुर
	चौथी	हुसैनपुर सुधाना	
	पारस नाथ	हुसैनपुर सुधाना	पारसनाथ
	सुग्रीम	हुसैनपुर सुधाना	सुग्रीम
	कौशल	गौहारी	कौशल
	माधवलाल	करीमपट्टी	माधवलाल
	शीतलाप्रसाद	[illegible] पीर	शीतलाप्रसाद
	कृष्णनन्दन	हुसैनपुर सु०	कृष्णनन्दन
	[illegible] कुमार [illegible]	रंकसरापुर पो० [illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	अशोक कुमार	[illegible] पत्तीराबाद	[illegible]
	अरविन्द कुमार [illegible]	"	[illegible]
	श्यामलाल [illegible]	ग्रा० कनौदा पो० [illegible]	श्यामलाल
	जगतराम	हाशिमपुर	जगतराम
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	हुसैनपुर सुधाना	[illegible]
	शान मोहम्मद	[illegible]	शान मोहम्मद
	रामशकल	हुसैनपुर	रामशकल
	नन्दलाल	सलाहपुर रजौर	नन्दलाल
	मो० इलियास	हुसैनपुर सुधाना	इलियास
	सीताराम	रजौर	
	अमित कुमार [illegible]	रजौर	अमित कुमार [illegible]
	रमजान अली	खदेरगाँव	
	सुरेलाल	मकरकद्दी	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
	मंगरू	इंजोर	[thumbprint]
	दयाशंकर शर्मा	बड़डूपुर	दयाशंकर शर्मा
	भोलेराम	इंजोर	[illegible]
	विश्राम	बड़डूपुर	विश्राम
	रामआसरे	हसनापुर	[thumbprint]
	सुखनंदन	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	हरीपुर	[illegible]
	रवि	खैरपुर	[thumbprint]
	वीरेन्द्र कुमार	[illegible]पुर	[thumbprint]
	रामपाल वर्मा	नाजिदपुर	
	लौटू	खटेरगाँव	[thumbprint]
	शालिकराम	गिरधरामऊ	
	राजेतराम	मीरापुर	
	Salman	Khutiy[illegible]	Salman
	मो० सुल्तान	खटेर गाँव	मो० सुल्तान
	मोहनलाल	मीरापुर	मोहनलाल
	सहबान	खटेर गाँव	सहबान
	ओमप्रकाश	[illegible]	ओमप्रकाश
	रामशंकर	इंजोर	राम[illegible]
	[illegible]	मीरापुर	[thumbprint]
	सतीराम	मीरापुर	[illegible]
	पंकज [illegible]	[illegible]पुर	पंकज [illegible]
	विनोद कुमार	[illegible]	[illegible]

क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	रामभगान	सम्हरिया	रामभगान
	रामधुन	[illegible] पुर	रामधुन
	जगदीश	गाजीपुर	[illegible]
	वीरेन्द्र कुमार वर्मा	सम्हरिया	वीरेन्द्र वर्मा
	[illegible]	गाजीपुर	[illegible]
	रामजीत वर्मा	सम्हरिया	रामजीत
	सुभाष चन्द्र	सम्हरिया	[illegible]
	घनश्याम	सम्हरिया	घनश्याम
	हुन्देर लाल	हुसेनपुर सुधाना	हुन्देर लाल
	[illegible]	हुसेनपुर सुधाना	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	मुन्नीराम	मलिकपुर रजौर	मुन्नी राम
	[illegible]	"	[illegible]
	विपिन कुमार	रवरहेगांव	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	धातापुर	[illegible]
	[illegible]	हुसेपुर	[illegible]
	[illegible]	हुसेनपुर	[illegible]
	Ajay Verma	हुसेनपुर	[illegible]
	[illegible]	रजौर	[illegible]
	[illegible]	मलिकपुर रजौर	[illegible]
	संतोष [illegible]	मलिकपुर रजौर	संतोष
	[illegible]	[illegible] पुर	[illegible]
	[illegible]	Khairpur	[illegible]
	सुरेन्द्र	गाजीपुर	[illegible]
	रामजीत वर्मा	[illegible]	[illegible]
	दयाराम	शरीफपुर	[illegible]

क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
	S. N. Verma	Sri R. Nathi Putti	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	राम नायक	रजौर	रामदास
	जगू राम	सलाहपुर रजौर	
	रामनरेश	ककराही	रामनरेश
	रामि सहनि	दालिमपुर	
	विक्रमाजीत वर्मा	बाजिदपुर	विक्रमाजीत वर्मा
	राजेन्द्र	इसेनपुर [illegible]	राजेन्द्र
	काशीराम	हुसेनपुर	काशीराम
	रेवाराम वर्मा	सलाहपुर रजौर	[illegible] वर्मा
	रामलौट	रुस्तमपुर	रामलौट
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	उदई राम	सलाहपुर रजौर	उदई राम
	मयाराम	[illegible] गाँव	मयाराम
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	रामकृष्ण वर्मा	[illegible] पुर	रामकृष्ण वर्मा
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	हीरालाल	हुसेनपुर सुवाना	हीरालाल
	मनोज	हुसेनपुर सुवाना	मनोज
	ओमप्रकाश	[illegible] पुर [illegible]	ओमप्रकाश
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	फतेहपुर	[illegible]
	महेन्द्र कुमार वर्मा	फतेहपुर	महेन्द्र कुमार
	गुड्डू	[illegible] पुर	गुड्डू
	आशीष पाण्डेय	[illegible] पुर	आशीष पाण्डेय
	रमापति वर्मा	[illegible]	[illegible]
	फरीद अहमद	[illegible] गाँव	फरीद
	[illegible]	/ / /	[illegible]

क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
	महेश प्रसाद	समहरिया	महेश प्रसाद
	छेदू लाल	रसौर अलाहपुर	छेदू लाल
	Ved Prakash	Aushanpur	Ved Prakash
	संतोष वर्मा	भैरानपुर	संतोष वर्मा
	Sudhir	Raypur	Sudhir
	[illegible]	हैदराबाद	[illegible]
	बदरुद्दीन	खरेगांव	बदरुद्दीन
	विवेक	मीरापुर	विवेक
	उमेश	मीरापुर	उमेश
	राजेश गुप्ता	हाजीगंज पुर	राजेश गुप्ता
	रामनयन	समहरिया	
	राजेश गुप्ता	~~[illegible]~~ मीरापुर	राजेश
	~~निजामुद्दीन~~	खलीलाबाद	~~निजामुद्दीन~~
	समरजीत	कालिका	समरजीत
	राजेश	[illegible]	राजेश
	आरिफ कुरैशी	रसौर	आरिफ कुरैशी
	Anwar Ahmad	Alampur	Anwar Ahmad
	शिवप्रसाद	अलाहपुर	शिवप्रसाद
	रामसुरेश	खरेगांव	
	विश्राम	सुधाना	
	लईक अहमद	छटेगांव	लईक अहमद
	जगराम	रसौर (Hamidpur)	जगराम
	हरिश्चन्द्र	[illegible]	हरिश्चन्द्र
	महादेव	कुसमपुर सुधाना	महादेव
	रामशंकर	खरेगांव	

क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
	मनोहर	खरेटगांव	
	शिवनारायण	पहाड़पुर	शिवनारायण
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	छोटेलाल	[illegible]	छोटेलाल
	लालतिवारी	[illegible]	लालतिवारी
	[illegible]	खरेटगांव	
	[illegible]	खरेटगांव	
	[illegible]	खरेटगांव	
	[illegible]	[illegible]	
	धानी	खरेटगांव	[illegible]
	Amar [illegible]	[illegible]	[illegible]
	Vijay [illegible]	NTPC [illegible]	[illegible]
	I. C. Tripathi	NTPC Tanda	[illegible]